कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न–9 / सीएफओ(शैक्षणिक भ0मा0)–D-PO-49-2025 दिनांक: फरवरी 10, 2025

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक
Academic Block of Graphic Era Educational Society
Graphic Era Global School,
Kh No-473-Bharuwala Grant, Society Area,
Post Office Road, Clement Town
जनपद–देहरादून।

विषय **शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण संचालन प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–36571898 दिनाक 21.01.2025 के अन्तर्गत Academic Block of Graphic Era Educational Society, Graphic Era Global School, Kh No-473-Bharuwala Grant, Society Area, Post Office Road, Clement Town, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 25.01.2025 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा मे है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार / अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र / Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन / ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः उपनिदेशक (तकनीकी) महोदय, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 01.02.2025 के आधार पर Academic Block of Graphic Era Educational Society, Graphic Era Global School, Kh No-473-Bharuwala Grant, Society Area, Post Office Road, Clement Town, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 10 फरवरी 2025 से 09 फरवरी 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा:–

1. प्रश्नगत भवन (बेसमेन्ट–01, बेसमेन्ट–02, भूतल एवं अग्रेत्तर चतुर्थ तल) में स्वीकृति / निर्मित है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / गेस्ट हाउस / होटल आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. **बेसमेन्ट को रिहायशी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।**
3. प्रश्नगत भवन में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाउस की इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है, यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाउस की इलैक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी / प्रबन्धक का होगा।
4. प्रश्नगत भवन के सैट बैक में स्थाई व अस्थाई निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानको में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉं सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप साथ रहेगी।
7. प्रश्नगत भवन में कार्यरत / अध्ययनरत सभी कर्मचारियों / विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय–समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों / यंत्रों का निरीक्षण / परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगें।
8. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी स्वामी / प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः स्वामी / प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
9. प्रश्नगत भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
10. प्रश्नगत भवन के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

11 आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुझाव के अनुरुप व्यवस्था नही पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुघर्टना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते है तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

12 शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

13 विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुघर्टना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

(वी0 पी0 यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।